




LABOUR DEPARTMENT HARYANA



Home About ▾ Labour laws Duties And Functions ▾ RTS BRAP ▾ E-Services ▾ Miscellaneous ▾ SO

» Scheme Detail / इस योजना का विस्तार

Home (मुख पृष्ठ) > Scheme detail (इस योजना का)

पेंशन की योजना (नियम 51)



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु उपरान्त प्रतिमास 3,000/- रूपये पेंशन दी जाती है।

लाभ प्राप्त करने की शर्तः

1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम तीन वर्ष की नियमित सदस्यता 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व आवश्यक है।
2. पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी का इन्द्राज होना आवश्यक है।
3. पंजीकरण के समय, आयु के प्रमाण के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
5. आनलाईन आवेदन में निर्दिष्ट घोषणा पत्र कि आवेदक किसी भी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/ संस्था से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है पूर्ण रूप से भरकर संलग्न करना आवश्यक है।
6. जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जमा/अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा बोर्ड पेंशन देने में असमर्थ रहेगा।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 3
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.3000

Process / प्रक्रिया

documents / दस्तावेज

[Download Undertaking](#)

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » पंजीकृत निर्माण कर्मकार क इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद प्रोत्साहन
- » कोचिंग कक्षाओं के लिए वि
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्था-ना म हास्ट सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लि प्रोत्साहन राशी(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 6)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व)(नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » सार्किल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अंपगता सहायता (नियम 59)
- » अंपगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नि 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्ति सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (निय 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (निय 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (निय 56)